F.D.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः—127 / दावा / 2023 दायरा दिनांक :— 18.09.2023

GCMS ID—2023 / 144

बउनवान

1. सचिन बिंदल आ0 श्री शरवन कुमार जाति महाजन निवासी मांगलीकला हाल निवासी जी—3 / 63 सेकेण्ड फ्लोर, मांडल टाउन 3 नोर्थ वैस्ट दिल्ली।

वादी

बनाम

1. घासीलाल आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. देवी पुत्र औंकार जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. भूली बाई पुत्री छोटू जाति कुमावत निवासी खटावदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामबाबू आ0 रामकरण जाति कुमावत निवासी मांगली खुर्द तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लक्ष्मण आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. शोजीलाल आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. हेमराज आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सीताबाई पुत्री लाडबाई कुमावत निवासी उन्दालिया की डुंगरी जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट।

वकील वादी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील प्रतिवादीगण :—एक पक्षीय कार्यवाही।

दिनांक :—27 / 02 / 2026

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 55 खसरा संख्या 653 / 311 रकबा 1.7806 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली में विरिथत है, जो वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी का 5 / 22 हिस्सा दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। तथा खातेदार लाड बाई की मृत्यु हो गई है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 8 सीताबाई को बनाया है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों पर वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से की भमियों पर काबिज काश्त है, तथा वादी वर्तमान में बाहर रहने के कारण अपने हिस्से की भूमि को आदोली से काश्त करवाता आ रहा है, तथा वादी व प्रतिवादीगण ने भूमि पर काश्त करने की सुविधा की दृष्टि से भूमि के मौके पर हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर खेती करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का खाता सामालाती होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि पर स्थायी संसाधन नहीं ला पा रहा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है, क्योंकि बंटवारा हुये बिना सामलाती खाते की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार कानूनन माना गया है, तथा भूमियों का बंटवारा नहीं होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि का स्थायी रूप से उपयोग, उपभोग नहीं कर पा रहा है, वादी ने वादग्रस्त भूमियों का हिस्सेनुसार बंटवारा करवाने का दिनांक 02.09.2023 को प्रतिवादी से आग्रह किया कि तहसील कार्यलय में चलकर आपसी सहमति से भूमियों को बंटवारा करवाकर खाता पृथक करवा लेंगे, लेकिन प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बंटवारा करवाने में इन्कार हो गये यही वाद का कारण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में निहित वादी के हिस्से की भूमि का पृथक खाता कायम करवावे व अपना खाता पृथक करवाकर बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे साथ ही वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने में व्यवधान पैदा नहीं करने, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाज नहीं करने, हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवावे। वाद में बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है, बॅटवारे के वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से राज्य सरकार के प्रतिनिधि जर्ये तहसीलदार हिण्डोली को पक्षकार बनाकर वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मांगली कला पटवार मण्डल मांगलीकला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से श्रीमान को वाद की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री बमय खर्चा सादिर फरमायी जावे। भूमि खाता संख्या 55 खसरा संख्या 653/311 रकबा 1.7806 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगली कला प0म0 मांगलीकला तहसील हिण्डोली में निहित वादी के हिस्से का विधिवत बंटवारा किया जाकर वादी का खाता पृथक कायम किया जावे एवं वादी को बंटवारे में प्राप्त भूमि पर स्वतंत्र कब्जा दिलाया जावे एवं वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करने, वादी के काश्त में करने में अवरोध पैदा नहीं करने, हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी के पक्ष में सुलभ हो दिलायी जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी नं. 01 लगायत 8/1 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.10.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 9 फोरमल पक्षकार होने से तनकीयात कायम नहीं की गई है।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खतौनी संख्या 55 सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम मांगलीकला प0म0 मांगलीकला तहसील हिण्डोली पेश किये है व साक्ष्य में शपथ–पत्र पी0डब्ल्यू–1 वादी सचिन बिंदल का पेश कर बयान गवाह दर्ज करवाये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। जो मुख्य रूप से वादपत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान वादी–प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाकर अलग खाता कायम करवाना चाहता हैं जिसका उसे कानूनी रूप से हक व अधिकार है। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

दावा दिनांक :– 01.12.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डोली को तकासमा रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा निर्देशानुसार पत्रांक :– राजस्व / 26 / 214 दिनांक:– 23.01.2026 से पी0डी0 रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिसे शामिल मिसल कराया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत अभिधृतियों (टीनेंसीज) के अनुसार "विभाजन" का अभिप्राय किसी विभाजन किये जाने योग्य भू–सम्पदा का दो या अधिक भागों में इस प्रकार बंटवारा है जिससे प्रत्येक भाग के एक या एक से अधिक टुकडे हो जाये। धारा–53 को प्रभावशील करने के लिए नियम राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के अध्याय–4 व नियम 18–21 में वर्णित है।

बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे प्राप्त पी0डी0 रिपोर्ट से सहमत हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है।

–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अतः वाद वादीनी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :—

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. सचिन बिंदल पुत्र शरवण कुमार जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 जी—3/63 सेकण्ड फ्लोर मॉडल टाउन 3 नोर्थ वेस्ट, दिल्ली खातेदार।	653/311/1	0.4046
	योग	किता— 1	0.0253
2.	1. घासीलाल पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 2. देवी पुत्र औंकार जाति कुमरावत हिस्सा 11/34 3. भूलीबाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 4. रामबाबू पुत्र रामकरण जाति कुमावत हिस्सा 12/34 5. लक्ष्मण बाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 6. लाडबाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 7. शोजीलाल पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 8. हेमराज पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 सा0 देह खातेदार रहिन जमाबंदी अनुसार बदस्तूर।	653/311/2	1.376
	योग	किता— 1	1.376

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना—अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/02/2026

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला– बून्दी (राज.) मुकाम हिण्डोली
बइजलास श्री शिवराज मीणा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी,हिण्डोली जिला–बून्दी

बउनवान

1. सचिन बिंदल आ0 श्री शरवन कुमार जाति महाजन निवासी मांगलीकला हाल निवासी जी–3/63 सेकेण्ड फ्लोर, मांडल टाउन 3 नोर्थ वैस्ट दिल्ली।

वादी

बनाम

1. घासीलाल आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. देवी पुत्र औंकार जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. भूली बाई पुत्री छोटू जाति कुमावत निवासी खटावदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामबाबू आ0 रामकरण जाति कुमावत निवासी मांगली खुर्द तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. लक्ष्मण आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. शोजीलाल आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. हेमराज आ0 छोटू जाति कुमावत निवासी मांगलीकला तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. सीताबाई पुत्री लाडबाई कुमावत निवासी उन्दालिया की डुंगरी जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात।

मुकदमा नम्बर :–127/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रूबरू श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस.व हाजिरी श्री शम्भूलाल शर्मा एडवोकेट मिजानिब मुदई रूबरू श्री एकतरफा मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि

वाद वादीनी मुताबिक पी0डी0 रिपोर्ट के डिक्री किया जाता है कि निम्नांकित आराजियात निम्नानुसार पक्षकारों के खातेदारी एवं कब्जें काश्त में रहेगी :–

क्र0सं0	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा है0 में
1.	1. सचिन बिंदल पुत्र शरवण कुमार जाति महाजन हिस्सा पूर्ण सा0 जी–3/63 सेकण्ड फलोर मॉडल टाउन 3 नोर्थ वेस्ट, दिल्ली खातेदार।	653/311/1	0.4046
	योग	किता– 1	0.0253
2.	1. घासीलाल पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 2. देवी पुत्र औंकार जाति कुमरावत हिस्सा 11/34 3. भूलीबाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 4. रामबाबू पुत्र रामकरण जाति कुमावत हिस्सा 12/34	653/311/2	1.376

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	5. लक्ष्मण बाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 6. लाडबाई पुत्री छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 7. शोजीलाल पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 8. हेमराज पुत्र छोटू जाति कुमरावत हिस्सा 11/204 सा0 देह खातेदार रहिन जमाबंदी अनुसार बदस्तूर।		
	योग	किता– 1	1.376

वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रहने वाली भूमियॉ प्रस्तावित नक्शें में दर्शाये अनुसार रहेगी। मुताबिक न्यायालय निर्णय के वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से रहने वाली भूमियों का तहसीलदार, हिण्डोली मौकें पर भूमियों में आने जाने हेतु बने हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए पक्षकारान को कब्जा संभलावे। तद्नुसार रिकॉर्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। नक्शा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के तहत स्टाम्प ड्यूटी वसूल हो। खर्चा फरीकेन अलना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख :–27.02.2026 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हूक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2	00	मीजान		00

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)